# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

**( जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित )**

**दावा संख्या :–51/2019**

**निर्णय दिनांकः–02.03.2020**

उनवान

1. सीताराम पुत्र मूल्या जाति जाट निवासी लुहारा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2. रामकिशोर पुत्र मूल्या जाति जाट निवासी लुहारा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
3. श्योजीराम पुत्र मूल्या जाति जाट निवासी लुहारा तहसील निवाई जिला टोंक राज.

–वादीगण

बनाम

1. श्रीराम पुत्र रामरख जाति जाट निवासी लुहारा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2. मुकुटबिहारी पुत्र रामरख जाति जाट निवासी लुहारा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
3. राजाराम पुत्र रामरख जाति जाट निवासी लुहारा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
4. तहसीलदार निवाई

–प्रतिवादीगण

**दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा**
**एवं आज्ञापक व्यादेश**

उपस्थितः– श्री नरेन्द्र कुमार जाट वकील वादीगण

**निर्णय**

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि आराजी ख.नं. 758 शा.नं. 761 रकबा 0–08 बीघा वाके ग्राम लुहारा तहसील निवाई में स्थित है। जिस पर वादीगण अपने बाप दादाओं के जमाने से काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण की उपरोक्त वर्णित भूमि से प्रतिवादीगण का दूर तक भी वास्ता नहीं है किन्तु प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि के सटवा अपनी भूमि होने का नाजायज फायदा उठाकर जबरन लठ्ठ बल व भुजबल की ताकत से वादीगण की भूमि को हडपने के उद्धेश्य से जबरन वादीगण की भूमि को दबाकर मौके पर कच्चा पक्का निर्माण कर कब्जा करने पर आमादा है। वादीगण द्वारा मना करने पर उसके साथ मारपीट कर उसे झूठे मुकदमे में उलझाने की धमकियां दे रहे है। अतः वादीगण की अधियाचना है कि वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा की इस अमर की डिक्री सादिर फरमायी जावे कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि आराजी ख.नं. 758 शा.नं. 761 रकबा 0–08 बीघा वाके ग्राम लुहारा तहसील निवाई में प्रतिवादीगण मौके पर किसी प्रकार से कोई कच्चा पक्का निर्माण नहीं करें तथा हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द रहें।

दावा पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण बाद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। वकील वादी ने PW1 सीताराम का शपथ–पत्र साक्ष्य वादी एकतरफा हेतु पेश किया।

वकील वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात निम्नानुसार है–

1. जमाबन्दी संवत् 2072–75 वाके ग्राम लुहारा खाता संख्या 416 कुल किता 14 कुल रकबा 15–06 बीघा

वकील वादी की बहस एकतरफा सुनी गयी। वकील वादी ने वादपत्र का दोहरान करते हुये बहस में निवेदन किया कि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि आराजी ख.नं. 758 शा.नं. 761



उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

Scanned by CamScanner

रकबा 0–08 बीघा वाके ग्राम लुहारा तहसील निवाई में स्थित है। जिस पर वादीगण अपने बाप दादाओं के जमाने से काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण की उपरोक्त वर्णित भूमि से प्रतिवादीगण का दूर तक भी वास्ता नहीं है किन्तु प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि के सटवा अपनी भूमि होने का नाजायज फायदा उठाकर जबरन लठ्ठ बल व भुजबल की ताकत से वादीगण की भूमि को हडपने के उद्धेश्य से जबरन वादीगण की भूमि को दबाकर मौके पर कच्चा पक्का निर्माण कर कब्जा करने पर आमादा है। वादीगण द्वारा मना करने पर उसके साथ मारपीट कर उसे झूठे मुकदमे में उलझाने की धमकियां दे रहे है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि आराजी ख.नं. 758 शा.नं. 761 रकबा 0–08 बीघा वाके ग्राम लुहारा तहसील निवाई में प्रतिवादीगण मौके पर किसी प्रकार से कोई कच्चा पक्का निर्माण नहीं करें तथा हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द रहें।

वकील वादी की एकतरफा बहस का मनन व सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रदर्श–1 में वर्णित भूमि आराजी ख.नं. 758 शा.नं. 761 रकबा 0–08 बीघा वाके ग्राम लुहारा तहसील निवाई वादीगण की खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि से वादीगण का कोई संबंध नहीं है। बावजूद इसके वादीगण की तन्हा खातेदारी की भूमि में प्रतिवादीगण जबरन निर्माण करना चाह रहे है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। तथा उक्त कृत्य के कारण वादीगण को हक व अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवा सके।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवदीगण को जरिये स्थाई पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि आराजी ख.नं. 758 शा.नं. 761 रकबा 0–08 बीघा वाके ग्राम लुहारा तहसील निवाई में प्रतिवादीगण मौके पर किसी प्रकार से कोई कच्चा पक्का निर्माण नहीं करें तथा हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द रहें।

यह निर्णय आज दिनांक 02.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

2/3/2020

जे.पी.बैरवा
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)
निवाई (टोंक)
उपखण्ड अधिकारी निवाई

Scanned by CamScanner

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

**( जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित )**
**(डिकी मुकदमा इब्तदाई)**

उनवान

1. सीताराम पुत्र मूल्या जाति जाट निवासी लुहारा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2. रामकिशोर पुत्र मूल्या जाति जाट निवासी लुहारा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
3. श्योजीराम पुत्र मूल्या जाति जाट निवासी लुहारा तहसील निवाई जिला टोंक राज.

—वादीगण

बनाम

1. श्रीराम पुत्र रामरख जाति जाट निवासी लुहारा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2. मुकुटबिहारी पुत्र रामरख जाति जाट निवासी लुहारा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
3. राजाराम पुत्र रामरख जाति जाट निवासी लुहारा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
4. तहसीलदार निवाई

—प्रतिवादीगण

**दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा**
**एवं आज्ञापक व्यादेश**
**मुकदमा संख्याः— 51/2019**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री जे.पी.बैरवा आर0ए0एस0 ब हाजरी नरेन्द्र कुमार जाट वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवदीगण को जरिये स्थाई पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि आराजी ख.नं. 758 शा.नं. 761 रकबा 0—08 बीघा वाके ग्राम लुहारा तहसील निवाई में प्रतिवादीगण मौके पर किसी प्रकार से कोई कच्चा पक्का निर्माण नहीं करें तथा हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द रहें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02 माह 03 सन् 2020 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)



Scanned by CamScanner